

13034/20(1)/2018-रा.भा.(प्रशा.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-1


दिनांक: 24.11.2020

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग के सम संख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 24.08.2020 के क्रम में राजभाषा विभाग द्वारा 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के पैरा 4 के अनुपालन में यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) की संरचना में आंशिक संशोधन उपरांत समिति की संरचना इस प्रकार से है:-

- | | |
|--|-------------------|
| i) श्रीमती मंजुला सक्सेना, उप सचिव | - पीठासीन अधिकारी |
| ii) श्री इरफान अहमद खान, सहायक निदेशक | - सदस्य |
| iii) श्री प्रदीप सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी | - सदस्य |
| iv) श्रीमती साधना शर्मा, अनुभाग अधिकारी | - सदस्या |
| v) सुश्री सुनीता एच. खुराना | - एनजीओ सदस्या |

2. यह समिति संबन्धित अधिनियम के प्रावधानों एवं इस विषय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।
3. उपर्युक्त समिति के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष होगा।
4. राजभाषा विभाग की पीड़ित महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के बारे में कोई भी शिकायत सीधे समिति की पीठासीन अधिकारी को भेजी जा सकती है।


(मोहन लाल वैद्यवानी)
निदेशक (प्रशासन)

सेवा में

1. सभी संबन्धित अधिकारीगण।
2. सुश्री सुनीता एच. खुराना, बी 604, हमसब अपार्टमेंट, प्लॉट 14, सैक्टर 4, द्वारका, नई दिल्ली(ईमेल sunitahk1@gmail.com)

जारी.....2/-

प्रतिलिपि:

1. सचिव(रा.भा.) के व.प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-॥ बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, नई दिल्ली
2. संयुक्त सचिव(रा.भा.) के प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग , एनडीसीसी-॥ बिल्डिंग, चौथी मंजिल, नई दिल्ली
3. एनआईसी सेल (रा.भा.) विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. निदेशक (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो)
5. निदेशक (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान)
6. सचिव (संसदीय राजभाषा समिति)
7. अवर सचिव, प्रशासन -V अनुभाग, गृह मंत्रालय, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, WW प्रभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1

निदेशक (प्रशासन) 24/11/20